

24⁰⁹/₂₁

उपरोक्त उपायों के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत

अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता

पक्षकारान प्रा. पत्रावली पर दिनांक 21/10/21

21¹⁰/₂₁

पत्रावली सार्वजनिक लोक अदालत में पेश हुई

पक्षकारान उप/अनु/लोकियता उभयपक्ष उप/अनु/

पक्षकारान से सतर्कता की गई परन्तु राजीनामा नहीं

हूय। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में आइन्दा

दिनांक 23⁰²/₂₂ को पेश हो।

23⁰²/₂₄

पत्रावली पेश हुई। मावकी लजावली आई
लाखजूस पक्षकार उपस्थित नहीं मिलते
पट्ट उलीत होता है कि पक्षकार ही व्यक्ति
कात-पत्र से नहीं है अतः कात पत्र
वाही इसी स्टेज पर अलग दाखली एवं
अलग पैटली से रकारिज किया जाकर है।
पत्रावली बिगलि में शुकाए होकर हुकम
जाकर मावकील इकतल हो

इका

